

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

Ph.no. - 0771-2426739, Fax No.- 2422124, Email- zp-raipur.cg@nic.in



क्रमांक 3232/स्व.भा.मि.ग्रा/जि.पं./2026

रायपुर, दिनांक 30/09/2026

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिला रायपुर में स्थापित Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP) के संचालन एवं संपूर्ण प्रबंधन हेतु इच्छुक पात्र फर्म/संस्था/थर्ड पार्टी/एजेंसी से मोहरबंद लिफाफे में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक फर्म/संस्था/थर्ड पार्टी/एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्यों एवं संबंधित स्थानों हेतु रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जा सकती है। आवेदन प्रस्तुत करते समय फर्म/संस्था द्वारा जिस कार्य के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस कार्य का नाम एवं संबंधित स्थान का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा। रुचि की अभिव्यक्ति हेतु प्रस्तावित कार्य की सूची निम्नानुसार है -

क्र.	कार्य का विवरण	स्थल	टिप्पणियाँ
1	Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP)	वि.खं धरसीवा - ग्रा.पं. टेमरी, चरौदा	Faecal Sludge Treatment Plant वि.खं एवं ग्राम पंचायतवार दर्शाए गए प्रत्येक कार्य हेतु संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत किए जाएँ। प्रत्येक कार्य के लिए आवेदन पृथक रूप से स्वीकार किया जाएगा।
2		वि.खं अभनपुर - ग्रा.पं. गातापार	
3		वि.खं आरंग - ग्रा.पं. लखौली	

Rolling EOI

इच्छुक एवं पात्र फर्म/संस्था/एजेंसी द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु EOI किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान जमा की जा सकेगी। प्राप्त EOI को प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख (यदि उक्त तिथि को अवकाश रहता है, तो अगामी कार्य दिवस) को अपराह्न 3.00 बजे खोला जाएगा। यह प्रक्रिया संबंधित कार्य हेतु उपयुक्त एजेंसी के अंतिम चयन तक जारी रहेगी। आवेदन EOI प्रकाशित तिथि से स्वीकार किये जाएंगे।

आवेदन पत्र नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट <https://raipur.nic.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

आवेदन पत्र

दिनांक

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

विषय:- जिले में मल जल उपचार संयंत्रों (एफएसटीपी) के संचालन एवं रखरखाव में सहयोग प्रदान करने बाबत।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं/हम फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के संचालन एवं रखरखाव तथा सेप्टेज प्रबंधन कार्य के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मेरे /हमारी एजेंसी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

क.	विवरण	जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज
1	2	3
1	आवेदक/संस्था/फर्म का नाम	
2	संस्था का प्रकार (प्रोपाइटरशिप/ पार्टनरशिप / प्राइवेट लिमिटेड आदि)	
3	ग्राम पंचायत व विकासखंड का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है)	
4	पत्राचार का पूरा पता	
5	संपर्क व्यक्ति का नाम व पद	
6	फोन/मोबाईल नम्बर	
7	ईमेल आई डी	
8	कार्य अनुभव का संक्षिप्त विवरण (कुल वर्ष)	
9	स्वयं का डी स्लज वाहन उपलब्धता (डी-स्लज वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न करें।)	हाँ/नहीं (यदि हां तो वाहन नं. -.....)
10	जीएसटी (GST) नम्बर (पंजीयन प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)	
11	अधिकृत व्यक्ति का पैन (PAN) नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	
12	इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति प्रमुख के पहचान प्रमाण पत्र (आधार आदि)	

13	पंजीकरण प्रमाण पत्र (गुमास्ता/उद्योग आधार/कंपनी रजिस्ट्रेशन) की छायाप्रति संलग्न करें।	
14	एजेंसी/फर्म का पैन (PAN) कार्ड (छायाप्रति संलग्न करें)	
15	पूर्व कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र/कार्यादेश (Work Order) की छायाप्रति संलग्न करें।	
16	ब्लेक लिस्टेड ना होने हेतु शपथ पत्र (100 रुपये का स्टाम्प पेपर संलग्न करें)	
	पावर ऑफ अटॉर्नी (यदि कोई हो) – (100 रुपये का स्टाम्प पेपर संलग्न करें)	
17	आवेदन शुल्क जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट (DD) का विवरण	

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे/हमारी संस्था का बैकग्राउंड फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) के संचालन, रखरखाव और सेप्टिक टैंक डिसलजिंग ऑपरेशन को प्रभावी व सुरक्षित रूप से संभालने के लिए आवश्यक कौशलों से संपन्न है। मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारीयों एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक हैं। यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। मैं जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियम व शर्तों का पालन करने के लिए पूर्णतः सहमत हूँ।

आवेदक

नाम:.....

पता:.....

फोन नंबर:.....

ईमेल:.....

चयन प्रक्रिया

1. प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र संस्था/फर्म में सूचीबद्ध किया जायेगा, तत्पश्चात चयन हेतु गठित समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन माप दण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य फर्म/संस्था को सूचीबद्ध किया जायेगा।
2. संस्था/फर्म का चयन स्कोर मैट्रिक्स के आधार पर किया जायेगा।
3. संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तावित (प्रतिमाह) अधिकतम किराया राशि को 10 (दस) अंक मानकर अनुपात में अंक प्रदाय किया जायेगा।

चयन हेतु स्कोर मैट्रिक्स

क्र.	विवरण	हां - 02अंक नहीं - 00 अंक
1	क्या स्वयं का डीस्लजिंग वाहन उपलब्ध है। (डीस्लजिंग वाहन का स्वयं के स्वामित्व में होना अनिवार्य पात्रता शर्त है।)	
2	क्या वाहन की वैध (RC, Insurance, Fitness and Pollution Certificate) आदि दस्तावेज उपलब्ध है। (आवेदन के साथ छायाप्रति संलग्न करें)	
3	सेप्टिक टैंक डीस्लजिंग एवं FSTP O&M का अनुभव (प्रति वर्ष का 01 अंक अधिकतम 02 अंक)	
4	ग्रामीण क्षेत्र में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष का 01 अंक अधिकतम 02 अंक)	
5	क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं मैनुअल स्कैवेजिंग निषेध संबंधी जानकारी है।	
6	उपकरण रखरखाव जैसे- पंप, पाईप, टूल्स, स्पेयर रखरखाव।	
7	सुरक्षा व्यवस्था जैसे - आवश्यक हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रबर ग्लव्स, गमबूट, फेस मास्क /फेस शील्ड, सेफ्टी गैगल आदि उपलब्ध है। (आवेदन के साथ फोटोग्राफ्स संलग्न करें)	
8	क्या वाहन चालक के पास वैध हैवी लाईसेन्स है। (आवेदन के साथ छायाप्रति संलग्न करें)	
9	क्या प्रशिक्षित हेल्पर/आपरेटर को पी.पी.ई उपयोग, होज संचालन, वाहन संचालन में सहयोग एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी है।	
10	क्या सुपरवाइजर/प्रभारी को (रिकार्ड संधारण, ग्राम पंचायत समन्वय एफ.एस. टी.पी संचालन एवं सुरक्षा अनुपालन की जानकारी है।	
11	क्या फर्म/थर्ड पार्टी या अन्य द्वारा एफ.एस.टी.पी संचालन हेतु प्रतिमाह ग्राम पंचायत को प्रदाय राशि (..... रुपये में)	

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका और जिम्मेदारिया :-

चयनित एजेंसी/व्यक्ति **FSTP** के आसपास के क्षेत्र में सेप्टिक टैंक या सिंगल पिट वाले शौचालय की डिस्लजिंग करेगा। डिस्लजिंग से प्राप्त आय से **FSTP** का संचालन एवं रखरखाव की संभावित लागत को कवर किया जा सकेगा। एजेंसी/व्यक्ति द्वारा डिस्लजिंग संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां की जाएगी -

- एजेंसी/व्यक्ति डिस्लजिंग के लिए अनुरोधों को एकत्र करेगा एवं जिला प्रशासन और ग्राम पंचायतों की सहमति से पहचान किये गए गांवों में डिस्लजिंग सेवाएं प्रदान करेगा। यदि पास के अन्य ग्राम पंचायतों में मांग होगी, तो एजेंसी/व्यक्ति उन स्थानों पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- ग्राम पंचायत के सहयोग से सेप्टिक टैंक की डिस्लजिंग के लिए एजेंसी/व्यक्ति का संपर्क, मोबाइल नंबर उन गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे जिनके लिए उन्हें संलग्न किया गया है।
- डिस्लजिंग की दरों का निर्धारण एजेंसी/व्यक्ति और ग्राम पंचायतों के साथ संयुक्त रूप से चर्चा कर किया जायेगा। दूरस्थ गांवों के लिए अलग दरें हो सकती हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के लिए दरों में छूट भी हो सकती है। डिस्लजिंग की शुल्क को उन घरों, संस्थानों, वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जायेगा जिनके सेप्टिक टैंक की डिस्लजिंग किया गया है। शुल्क को किफायती और प्रतिस्पर्धी रखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए।
- डिस्लजिंग शुल्क की रसीद एजेंसी/व्यक्ति द्वारा घर, संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान के सेप्टिक टैंक की डिस्लजिंग के लिए दी जाएगी। एजेंसी/व्यक्ति सिस्टम की पारदर्शिता और कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- डिस्लजिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। डिस्लजिंग केवल मैकेनाइज्ड तरीके से ही किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में मैन्युअल डिस्लजिंग (हाथ से मैला ढोना) नहीं किया जायेगा यह असंवैधानिक तथा कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
- एफएसटीपी में केवल व्यक्तिगत घरों, संस्थानों और वाणिज्यिक संस्थानों से निकले गए मल जल लाया जायेगा। औद्योगिक कचरा और ठोस कचरा को एफएसटीपी में नहीं डाला जाना चाहिए।

एजेंसी/व्यक्ति निम्नलिखित संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों का ध्यान रखेगी :-

- सुचारु संचालन एवं रखरखाव और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए स्थानीय मानव संसाधन को नियुक्त करना।

- यदि एफएसटीपी में मोटर के लिए प्रावधान है (जल का पुनः उपयोग आदि के लिए), तो बिजली का खर्च भरा जायेगा। यदि एफएसटीपी में कोई पानी का कनेक्शन है, तो इसका भी खर्च शामिल किया जाएगा।
- सुरक्षा उपकरण जैसे कि दस्ताने, गम बूट आदि सुविधा उपलब्ध होने चाहिए। किसी भी स्थिति में मल जल मानव संपर्क में नहीं आना चाहिए। एजेंसी/व्यक्ति समय-समय में नियुक्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच कराएगा।
- नियमित रूप से रखरखाव, जैसे कि प्लांटेड ड्राइंग बेड की डिस्लजिंग, फिल्टर सामग्री की सफाई और पुर्नस्थापना, पौधारोपण, सामान्य मरम्मत आदि किया जाएगा।
- संयंत्र स्तर पर एक लॉग बुक भरा जाएगा जिसमें तारीख, घर, संस्थान का नाम और पता जहां मल जल डिस्लजिंग किया गया है, मल जल की मात्रा, पीएच और तापमान शामिल होगा।
- डिस्लजिंग वाहन के परिचालन के लिए कुछ खर्च आएंगे। इसमें ड्राइवर और हेल्पर का वेतन, ईंधन और वार्षिक रखरखाव शामिल होगा।
- नियुक्त एजेंसी/व्यक्ति को एफएसटीपी के संचालन एवं रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण टेक्निकल एजेंसी/व्यक्ति के सहयोग से राज्य स्तर पर भी आयोजित किया जा सकता है।
- समय समय पर स्थानीय प्रशासन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा FSTP संचालन एवं रखरखाव की समीक्षा कर सुधार हेतु मार्गदर्शन दिया जायेगा।

2. इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति के लिए योग्यताएं :-

- एजेंसी/व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हो।
- एजेंसी/व्यक्ति के पास स्वयं का डिस्लजिंग वाहन होना चाहिए।
- डिस्लजिंग वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है।

3. तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता :-

- सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी होना।
- एजेंसी/व्यक्ति को **FSTP** के संचालन एवं रखरखाव का अनुभव हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- एजेंसी/व्यक्ति जिसको ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है, उसे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- एजेंसी/व्यक्ति जिसको स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ कार्य करने का अनुभव है, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- एजेंसी/व्यक्ति जिसको सेप्टिक टैंक डिस्लजिंग का अनुभव है, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज -

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन
2. इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति प्रमुख के पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति
3. इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति के पता का प्रमाण की छायाप्रति।
4. इच्छुक एजेंसी/व्यक्ति का पेन कार्ड की छायाप्रति।
5. डिस्लजिंग वाहन की उपलब्धता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आर.सी एवं फोटो)
6. डिस्लजिंग वाहन के इंश्योरेंस का प्रमाण पत्र।
7. डिस्लजिंग वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस।
8. एजेंसी/व्यक्ति के कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो तो)
9. एजेंसी होने की स्थिति में पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का मूल्यांकन करने के मापदंड -

1. एजेंसी/व्यक्ति एक FSTP के लिए एक आवेदन ही प्रस्तुत कर सकेगा।
2. यदि एजेंसी/व्यक्ति चाहे तो वह दूसरे FSTP के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
3. पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार किया जावेगा।
4. एजेंसी/व्यक्ति द्वारा आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्णता सही होनी चाहिए।
5. प्रस्तुत आवेदन में कि सी भी प्रकार की गलत जानकारी पायी जाती है उस स्थिति में प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया जा सकता है।
6. एजेंसी/व्यक्ति के पास स्वयं का डिस्लजिंग वाहन होना अनिवार्य है।
7. एजेंसी/व्यक्ति का उपरोक्त कार्यों का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
8. यह ई.ओ.आई एक रोलिंग प्रकृति का है अतः इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। आवेदन सतत रूप से स्वीकार किए जाएंगे।
9. कार्यालय में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रति 15 दिवस के भीतर (प्रत्येक माह की 15 एवं 30 तारीख) में किया जाएगा।
10. यदि किसी विशिष्ट एफ.एस.टी.पी स्थल (जैसे - ग्रा.पं टेमरी, चरौदा, गातापर एवं लखौली) के लिए किसी 15 दिवसीय चक्र में योग्य एजेंसी का चयन कर लिया जाता है। तो उस विशिष्ट स्थल के लिए ई.ओ.आई स्वतः समाप्त माना जाएगा।
11. शेष बचे हुए रिक्त एफ.एस.टी.पी स्थलों के लिए आवेदन प्राप्ति एवं मूल्यांकन की यह प्रक्रिया अगामी 15 दिवसीय प्रक्रिया में यथावत जारी रहेगी। रिक्त स्थलों की अद्यतन जानकारी समय-समय पर जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।